(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 52/2015
इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 22/2017

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ (सायल)

बनाम

जगमोहन आयु 21 वर्ष पुत्र सत्यनारायण कोली निवासी गणेश मौहल्ला अटरू जिला बारॉ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)
2– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 24.09.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल जगमोहन पुत्र सत्यनारायण जाति कोली निवासी गणेश मौहल्ला अटरू जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना अटरू क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सटट्ा खेलने खिलाने एवं आम जनता के साथ मारपीट की आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2011 से 2017 तक की अवधि मे कुल 21 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.19 एवं भादस 2 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के तहत 16 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व इस्तगासे दिनांक 27.08.2015 एवं दिनांक 08.09.2017 को दर्ज रजिस्टर किये गये तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर, जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2011 से 2017 तक की अवधि मे कुल 21 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.19 एवं भादस 2 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के तहत 16 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। जिसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक जिला बदर की कार्यवाही के स्थाना पर थाना बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूॅ, मेरा गॉव यहॉ से 35 कि.मी. दूरी पर स्थित है। मुझे यहॉ तारीख पेशी पर आने मे काफी परेशानी होती है, किराया अधिक लगता है ओर उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना अटरू द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमे जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना कवाई जिला बारां किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। उक्त पुलिस थाना मेरे गॉव मे नजदीक है। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना अटरू में वर्ष 2011 से 2017 तक की अवधि मे कुल 21 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.19 एवं भादस 2 के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओं के तहत 16 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि जगमोहन पुत्र सत्यनारायण जाति कोली निवासी गणेश मौहल्ला अटरू जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 16 प्रकरणों मे न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल जगमोहन पुत्र सत्यनारायण जाति कोली निवासी गणेश मौहल्ला अटरू जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अटरू से 15 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल जगमोहन पुत्र सत्यनारायण जाति कोली निवासी गणेश मौहल्ला अटरू जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अटरू से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/— रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 08.10.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना अटरू जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र अटरू से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कवाई जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.25 16:48:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: